कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय

विभागीय संरचना :

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय में प्रदेश स्तर पर संचालक कृषि अभियांत्रिकी शीर्षस्थ अधिकारी हैं। मुख्यालय स्तर पर 1 संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी , 2 कृषि यंत्री एवं 3 सहायक कृषि यंत्री के पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा 6 संभागों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सतना में कृषि यंत्री एवं सागर में कार्यपालन यंत्री का कार्यालय भी है। इसी प्रकार 32 जिलों भोपाल, विदिशा, इटारसी, इन्दौर, खण्डवा, ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर, सिवनी, सागर सतना, रीवा, सीहोर, रायसेन, बैतूल, झाबुआ, खरगोन, उज्जैन, देवास, मदसौर, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया, दमोह, नरसिंहपुर, छतरपुर, गुना, मुरैना एवं भिण्ड में सहायक कृषि यंत्री कार्यालय स्वीकृत है।

पदोन्नतियों , नियुक्तियों , स्थानान्तरण एवं विभागीय जॉच की स्थिति वर्ष 2013–14
(31 मार्च 2014 की स्थिति में)

क्रमांक	वितरण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	योग
1	पदोन्नति	3	1	41	–	45
2	विभागीय जॉच	–	–	–	2	2
3	नियुक्ति	–	–	–	5	5
4	स्थानान्तरण	–	4	136	81	221

न्यायालयीन प्रकरणों की कुल संख्या – 66

विभाग के दायित्व

इस संचालनालय का प्रमुख दायित्व कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि यंत्रीकरण का विकास है। इस हेतु निम्न गतिविधियॉ संचालित की जा रही हैं ;

- विभिन्न कृषि कार्यो हेतु बैल चलित, हस्त चलित तथा शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर कृषकों को वितरण।
- उन्नत कृषि यंत्रों के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कृषि कार्यो के लिये उपयोगी नवीनतम उन्नत कृषि यंत्रों के कृषकों के खेतों में प्रदर्शन।

- विभिन्न कृषि कार्यो हेतु विभागीय मशीनो को किसानो को निर्धारित शासकीय दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
- नवीन उन्नत कृषि यंत्रो के रख–रखाव एवं समुचित उपयोग हेतु कृषकों को प्रक्षिक्षण दिया जाता है।
- सामूहिक रूप से यंत्रीकृत कृषि अपनाने से प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति किसानो को जागरूक करना।
- प्रदेश की कृषि की विशिष्ट समस्याओं जैसे पड़त भूमि छिटकवां पद्धति नरवाई जलाना आदि के निदान में कृषि यंत्रो के उपयोग के प्रति कृषकों को जागरूक करना।

सामान्य जानकारी :

इस संचालनालय के अधीन वर्तमान में कार्य हेतु 264 व्हील टाईप ट्रैक्टर उपलब्ध है। ट्रेक्टर के साथ चलने वाले यंत्रो में खेत की तैयारी के लियें 220 रिवर्सिबल प्लाऊ, 218 रोटावेटर एवं भूमि समतलीकरण करने हेतु 3 लेजर लैंड लेवलर उपलब्ध है। बोनी के लिये 113 जीरो टिलेज सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रिल एवं 165 रेज्ड बेड प्लांटर उपलब्ध है। 26 पावर टिलर, धान रोपाई के लिये 10 राइस ट्रान्सप्लान्टर तथा धान की फसल कटाई एवं गहाई कार्य के लियें 1 कम्बाईन हार्वेस्टर उपलब्ध है। फसलो की कटाई एवं बंडल बंधाई कार्य हेतु 30 रीपर कम बाइन्डर भी उपलब्ध है।

भाग–2

बजट प्रावधान

वर्ष 2013–14 में योजनाओं में बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार रहा :–
(31 मार्च 2014 की स्थिति में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय (रू.लाख में)
1	मशीन ट्रेक्टर स्टेशन का सुदृढ़ीकरण	90.00	81.97
2	कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	6.50	6.41
3	प्रशिक्षण ,परीक्षण तथा प्रर्दशन के जरिये कृषि यांत्रिकीकरण का प्रोत्साहन तथा सुदृढीकरण	65.00	61.70

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय (रू.लाख में)
4.	हस्तचलित/बैलचलित यंत्रो पर टॉपअप अनुदान	1167.90	1167.13
5.	पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एण्ड मेनेजमेन्ट योजना	136.62	109.60
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		
	(6.1) हलधर योजना– गहरी जुताई के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणी के लद्यु एवं सीमान्त किसान के लिए सहायता	1100.00	1100.00
	(6.2) कतार में बुवाई हेतु सागर, रीवा, शहडोल संभाग और जबलपुर संभाग के मंडला और डिण्डोरी जिले व शिवपुरी जिले के करैरा, नरवर एवं खनियाधाना विकासखण्डों के लिए विशेष कार्यक्रम योजना	985.00	985.00
	(6.5) कृषि उपकरणो की क्रय के लिए किसानो को प्रोत्साहन	700.00	686.72
	(6.6) कलस्टर आधार पर कृषि का बढ़ावा	2.62	2.62
(7)	कृषि शक्ति योजना	700.00	689.40
(8)	राज्य योजना– कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन	3200.00	2959.07

राज्य योजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना
राज्य योजनायें

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 की उपलब्धियॉ निम्नानुसार रहीः–

क्रमांक	कार्यक्रम	उपलब्धि 2012–13	उपलब्धि 2013–14 (31 मार्च 2014 तक)
1.	व्हील टाईप ट्रेक्टर्स से हल्की जुताई , बखरनी , बोनी आदि के कृषि कार्य (घण्टा)	38188	35731
2.	कस्टम हायरिंग योजना अन्तर्गत उपलब्ध व्हील टाईप ट्रेक्टर्स से हल्की जुताई , बखरनी , बोनी आदि के कृषि कार्य (घण्टा)	81886	77992
2.	कृषि शक्ति योजनांतर्गत पावर टिलर पर टॉपअप अनुदान (संख्या)	315	254
3.	हस्तचलित/बैलचलित यंत्रो पर टॉपअप अनुदान (संख्या)	81114	31561
4.	कृषि यंत्रीकरण की प्रोत्साहन की राज्य योजना अंतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्रो की स्थापना	67	219

भाग–3

हितग्राही मूलक योजनायें

(1) केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं की उपलब्धियॉ

(इकाई संख्या में)

क्रमांक	योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि 2013–14 (31 मार्च 2014 तक)
1	**प्रशिक्षण ,परीक्षण तथा प्रर्दशन के जरिये कृषि यांत्रिकीकरण का प्रोत्साहन तथा सुदृढीकरण की योजना**		
	नवीन यंत्रो का कृषकों के खेतो में प्रदर्शन (संख्या)	2500	2350
2.	पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एण्ड मेनेजमेन्ट योजना		
	(अ) अनुदान पर वितरित कृषि उपकरण (संख्या)	120	118
	(ब) पोस्ट हार्वेस्ट उपकरणो के प्रदर्शन (संख्या)	200	200
	(स) कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम	250	250 (कृषक)
3.	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**		
	हलधर योजना (हेक्टयर)	73333	73333

(2) कृषि यंत्रो का अनुदान पर वितरण (रा.कृ.वि. योजनान्तर्गत)

(31 मार्च 2014 की स्थिति में)

(इकाई संख्या में)

क्रमांक	कार्यक्रम (अनुदान पर वितरण)	लक्ष्य	उपलब्धि 2013–14
1	पावर टिलर	254	254
2	शक्तिचलित कृषि उपकरण	1359	1350
3	हस्तचलित/बैलचलित उन्नत कृषि यंत्र	33100	31561

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

जॉच समितियॉ/किये गये अध्ययन– वर्ष 2013–14 में किसी भी समिति का गठन नहीं हुआ और न ही कोई अध्ययन किया गया ।

भाग–पॉच

संचालनालय के अधीन संचालित की जाने वाली योजनाओं का विवरण

1. **प्रशिक्षण ,परीक्षण तथा प्रर्दशन के जरिये कृषि यांत्रिकीकरण का प्रोत्साहन तथा सुदृढीकरण :–**

इस योजना के दो घटक है। नवीन यंत्रो का प्रर्दशन तथा प्रशिक्षण । नवीन यंत्रो के प्रदर्शन के अन्तर्गत उन्नत कृषि यंत्रों के किसानो के खेतों में प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं ।

इन प्रदर्शनों के निम्न परिणाम् रहे :–

(1) नवीन विकसित शक्तिचलित उन्नत कृषि मशीनरी के प्रदर्शन से कृषको में इनके उपयोग हेतु जागरूकता बढ़ी है।

(2) कृषि के एक फसली क्षेत्र को दो फसली क्षेत्र मे परिवर्तित करने में रोटावेटर एवं जीरोटिलेज सीड–कम–फर्टिलाइजर ड्रिल काफी उपयोगी रहें है।

(3) आधुनिक कृषि मशीने जैसे रीपर कम बाईन्डर, रेज्ड बेड प्लांटर, रोटावेटर आदि के परिणाम से कृषक गण प्रभावित हुयें है।

(4) कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई के बाद गेहूॅ के डंठल खेत में ही कृषकों द्वारा जला दिये जाने से भूसे का नुकसान होता ही है ,साथ ही साथ खेत की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। इस पारम्परा को दूर करने व कृषको को भूसे का लाभ दिलाने हेतु स्ट्रारीपर के प्रदर्शन कियें गयें

(5) कतार में खाद और बीज को अलग–अलग बोने हेतु विभाग द्वारा 3 कतारी बैलचलित सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रिल के प्रदर्शन किये गये जिससे छोटे किसान कतार में बोनी की पद्धति को अपना सकें ।

2 **पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलाजी एण्ड मेनेजमेंट**

यह केन्द्र क्षेत्रीय योजना है। योजना का उद्देश्य कृषको का पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलाजी उपकरणों के उपयोग के लिए प्रेात्साहित करना है जिससे कृषि उत्पादो की गुणवत्ता में सुधार करके कृषको को उपज का अधिक मूल्य दिलाया जा सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम

से कृषको को विभिन्न प्रकार के पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी उपकरणों के क्रय पर अनुदान दियें जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत 2.00 लाख तक के पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजी/उपकरणों पर 40 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाता है। योजनांतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजी उपकरणों के प्रदर्शन एवं कृषको को प्रशिक्षण दियें जाने का भी प्रावधान है।

3 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत ''हलधर योजना'' :–

छोटे एवं कमजोर कृषको के खेत की उत्पादकता बढ़ने तथा वर्षा जल संग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से गहरी जुताई की एक विशेष **''हलधर योजना''** वर्ष 2010–11 में प्रारम्भ की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सभी कृषक तथा सामान्य वर्ग के लद्यु एवं सीमान्त कृषक योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र है। योजना अंतर्गत गहरी जुताई की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1500/– प्रति हेक्टेयर का अनुदान कृषक को दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक कृषक को 4 हेक्टेयर एवं सामान्य वर्ग के एक कृषक को दो हेक्टेयर तक के खेत की गहरी जुताई योजना अंतर्गत करवा सकता है। वर्ष 2013–14 हेतु 73333 हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई का लक्ष्य लिया गया था। जिसके विरूद्ध इस वर्ष 73333 हेक्टेयर खेत की गहरी जुताई का कार्य किया जा चुका है।

4. कृषि शक्ति योजना :–

प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण की गतिविधियों को समग्र रूप से विस्तारित करने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम ''कृषि शक्ति योजना'' प्रारम्भ की गई है जिसके यंत्रीकृत कृषि के लाभ से कृषको को अवगत कराने के उद्देश्य से यंत्रदूत ग्रामो का विकास किया जाता है। प्रदेश मे पावर टिलर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना में उपलब्ध अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन की ओर से 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 30000 तक का टॉपअप अनुदान भी योजना अंतर्गत दिया जाता है।

बुवाई, निंदाई–गुड़ाई, सिचाई, कीट–आदि नियंत्रण, कटाई, गहाई आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली नवीन तकनीको के कृषि यंत्रो/उपकरणों का प्रदर्शन खेतो में किया जाता है। इसके माध्यम से कृषक खेती की लागत कम करके उत्पादन में वृद्धि प्राप्त कर रहे है। तथा कृषको का रूझान यंत्रीकृत कृषि की ओर बढ़ा है।

5. कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन की राज्य योजना :–

योजना की उप योजना एक के अंतर्गत प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से विशिष्ट शक्ति चलित कृषि उपकरणों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अलावा राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त टॉपअप अनुदान का प्रावधान जीरोटिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, रिवर्सिबल प्लाऊ, रीपर कम बाइंडर, स्ट्रॉ रीपर एवं ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर हेतु किया गया है।

इस योजना की उप योजना दो के अंतर्गत निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत 40 वर्ष तक की आयु के स्नातक युवाओं को 25 लाख रू. तक के कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के प्रोजेक्ट पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का अनुदान बैंक ऐण्डेड सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी स्नातकों को वरीयता दी जाती है। योजना के अंतर्गत बैंक ऋण लेने की बाध्यता रखी गई है।

भाग–छः

विभागाध्यक्ष द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन :

उन्नत कृषि यंत्रों को किसानो में प्रचलित कराने हेतु कृषकों को दी जाने वाली सुविधा संबंधी जानकारी पम्पलेट इत्यादि के माध्यम से प्रकाशित की जाती है ।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल